

ORDER (2/2025)

प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025

रीको भू-निपटान नियम, 1979 का नियम 3 (AJ):

“राइजिंग राजस्थान-ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024” के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र (आरक्षित भूखंडों सहित) में आरक्षित मूल्य पर औद्योगिक भूखंडों के प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 (Direct Allotment Policy-2025)।

1. **पात्रता:** प्रत्यक्ष आवंटन प्रणाली के तहत चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में “राइजिंग राजस्थान – ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024” के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ यह पॉलिसी लागू होने की तिथि तक मैमोरण्डम ऑफ अंडरस्टेन्डिंग (MoU) निष्पादित करने वाले उद्यमी/MSME उद्यमी।

2. **भूखण्ड की आवंटन दर:** संबंधित भूखण्ड की निर्धारित आरक्षित दर पर।

3. **आवंटन की प्रक्रिया:**

ऐसे एमओयू निष्पादनकर्ताओं जिन्हें औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उनके द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में अपना आवेदन मय प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने होंगे—

(i) **50,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक आवंटन की प्रक्रिया** – विशिष्ट भूखण्ड के लिए एक ही आवेदन होने पर सीधे आवंटन। उक्त विशिष्ट भूखण्ड पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में ई-लॉटरी के माध्यम से सफल आवेदक को आवंटन। सफल आवेदक को तीन कार्य दिवस में आवंटन संबंधी ऑफर लेटर जारी किया जायेगा।

(ii) **50,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक/विशेष औद्योगिक क्षेत्रों/पार्क में आवंटन की प्रक्रिया**—आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक की पात्रता, भूमि की आवश्यकता आदि की संवीक्षा रीको की मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी तथा निगम प्रबन्धन के सैद्धान्तिक अनुमोदन के उपरान्त, प्रकरण को निगम के निदेशक मण्डल द्वारा गठित आधारभूत संरचना विकास समिति के समक्ष रखा जाकर निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा।

4. **अमानत राशि (Earnest Money) :-** आवेदक को भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑन-लाईन माध्यम से रीको के बैंक खाते में जमा करानी होगी।

5. **भुगतान की प्रक्रिया:**

i. आवेदन स्वीकृत होने के बाद सफल आवेदक को भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन की स्वीकृति के प्रस्ताव पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी:

- *प्रीमियम राशि का 1% धरोहर राशि (Security Money) के रूप में।
- पहले से जमा अमानत राशि को समायोजित करने के बाद *प्रीमियम राशि का 25% (* प्रीमियम राशि = आरक्षित आवंटन दर X भूखण्ड का क्षेत्रफल)



- ii. यदि उपरोक्त (i) में उल्लेखित राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं की जाती है तो पहले जमा की गई अमानत राशि (EMD) बिना कोई नोटिस दिये जब्त कर ली जायेगी तथा आवंटन का ऑफर लेटर स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- iii. सफल आवेदक की मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में, प्रबंध निदेशक द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय अवधि से 30 दिन तक का समय विस्तार/विलम्ब अवधि को 11 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से नियमित किया जा सकेगा।
- iv. देय प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर के साथ आवंटी द्वारा 11 समान त्रैमासिक किस्तों में किया जाएगा।
- v. भूखण्ड आवंटन से 120 दिन की अवधि में आवंटी द्वारा प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान करने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी एवं ऐसे विकल्प चुने जाने पर 120 दिन की अवधि तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
- vi. देय प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि की समयावधि का विस्तार अधिकतम 2 वर्ष मय ब्याज सहित प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन से दिया जा सकेगा।

6. भूखण्ड आवंटन की विशेष शर्तें:-

- i. भूखण्ड का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जायेगा।
- ii. **उत्पादन की समयसीमा:**
 - (अ) ऐसे प्रोजेक्ट जिनको स्थापित करने के लिए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है, उन आवंटियों को आवंटित भूखण्ड का कब्जा देने की तिथि अथवा डीमड कब्जे अर्थात् आवंटन की तिथि से 30 दिवस के उपरान्त से, यथास्थिति जो भी हो, (औद्योगिक क्षेत्र विकसित घोषित किया गया अथवा नहीं, इस तथ्य को ध्यान रखे बिना), 2 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।
 - (ब) ऐसे प्रोजेक्ट जिनको स्थापित करने के लिए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक है, उन आवंटियों को आवंटित भूखण्ड का कब्जा देने की तिथि अथवा डीमड कब्जे अर्थात् आवंटन की तिथि से 30 दिवस के उपरान्त से, यथास्थिति जो भी हो, (औद्योगिक क्षेत्र विकसित घोषित किया गया अथवा नहीं, इस तथ्य को ध्यान रखे बिना), 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।
- iii. **आवंटी द्वारा पालना किए जाने वाले मध्यवर्ती अनुक्रम:-**
 - (अ) ऐसे प्रोजेक्ट जिनको स्थापित करने के लिए उपरोक्त वर्णित पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक है-

आवंटी/पट्टेदार को आवंटित भूखण्ड पर उत्पादन शुरू करने से पहले निम्नलिखित मध्यवर्ती अनुक्रमों का पालन करना आवश्यक होगा। निम्नलिखित मध्यवर्ती अनुक्रमों (Intermediate Milestone) की पालना में विफल होने पर सम्बन्धित इकाई प्रभारी द्वारा निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी तथा प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर समयावधि में छूट निम्नानुसार प्रदत्त की जावेगी:

क्र. सं.	चरण	समयावधि (कब्जा देने की तिथि से)	कार्यवाही/शास्ति
1	(i) पट्टा समझौते का निष्पादन; (ii) पर्यावरण मंजूरी के लिए सक्षम स्तर पर आवेदन प्रस्तुत करना।	2 माह	निर्धारित समयावधि में मध्यवर्ती अनुक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में निगम को भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा। वैध अपरिहार्य कारणों से देरी की स्थिति में अधिकतम द्वितीय मध्यवर्ती अनुक्रम की निर्धारित तिथि तक छूट प्रदान की जा सकेगी, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर (Prevailing Rate) के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
2	(i) भवन योजना मानचित्र प्रस्तुत करना या भवन योजना मानचित्र को स्वीकृत करवाना, जैसी भी स्थिति हों; (ii) वायु/जल अधिनियम के तहत स्थापना की सहमति (Consent to Establish) के लिए आवेदन करना, यदि लागू हो	6 माह	निर्धारित समयावधि में मध्यवर्ती अनुक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में निगम को भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा। वैध अपरिहार्य कारणों से देरी की स्थिति में अधिकतम तृतीय मध्यवर्ती अनुक्रम की निर्धारित तिथि तक छूट प्रदान की जा सकेगी, बशर्ते आवंटी द्वारा प्रथम मध्यवर्ती अनुक्रम की प्रगति पूर्ण कर ली हो जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
3	पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई हो;	12 माह	निर्धारित समयावधि अथवा छूट प्रदान की गई समयावधि में मध्यवर्ती अनुक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में निगम को भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा। वैध अपरिहार्य कारणों से देरी की स्थिति में अधिकतम चतुर्थ मध्यवर्ती अनुक्रम की निर्धारित तिथि तक छूट प्रदान की जा सकेगी बशर्ते

			आवंटी द्वारा द्वितीय मध्यवर्ती अनुक्रम की प्रगति पूर्ण कर ली हो, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
4	नियमों के अनुसार भूखण्ड के प्लिंथ स्तर तक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा किया गया हो।	18 माह	निर्धारित समयावधि अथवा छूट प्रदान की गई समयावधि में मध्यवर्ती अनुक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में निगम को भूखण्ड का आवंटन निरस्तीकरण करने का अधिकार होगा। वैध अपरिहार्य कारणों से देरी की स्थिति में अधिकतम पंचम मध्यवर्ती अनुक्रम की निर्धारित तिथि तक छूट प्रदान की जा सकेगी बशर्ते आवंटी द्वारा तृतीय मध्यवर्ती अनुक्रम की प्रगति पूर्ण कर ली हो, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
5	छत के स्तर तक (बिना छत डाले) न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूरा करना।	24 माह	निर्धारित समयावधि अथवा छूट प्रदान की गई समयावधि में मध्यवर्ती अनुक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में निगम को भूखण्ड का आवंटन निरस्तीकरण करने का अधिकार होगा। वैध अपरिहार्य कारणों से देरी की स्थिति में आगामी 6 माह तक छूट प्रदान की जा सकेगी बशर्ते आवंटी द्वारा चतुर्थ मध्यवर्ती अनुक्रम की प्रगति पूर्ण कर ली हो, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।

स्पष्टीकरण:-

- (i) मध्यवर्ती अनुक्रम की तालिका में दी गई समयावधि कब्जा देने की तिथि को आधार मानकर अनुवर्ती क्रम में समझी जावेगी।

- (ii) उपरोक्त मध्यवर्ती अनुक्रमों में विस्तार प्रदान किये जाने की दशा में उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए दी जाने वाली 3 वर्ष की समयावधि में स्वतः विस्तार नहीं माना जायेगा।

(ब) ऐसे प्रोजेक्ट जिनको स्थापित करने के लिए उपरोक्त वर्णित पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है—

आवंटी/पट्टेदार को आवंटित भूखंड पर उत्पादन शुरू करने से पहले निम्नलिखित मध्यवर्ती अनुक्रमों का पालन करना आवश्यक होगा। निम्नलिखित मध्यवर्ती अनुक्रमों (Intermediate Milestone) की पालना में विफल होने पर सम्बन्धित इकाई प्रभारी द्वारा निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी तथा प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर समयावधि में छूट निम्नानुसार प्रदत्त की जावेगी:

क्र. सं.	चरण	समयावधि (कब्जा देने की तिथि से)	कार्यवाही / शास्ति
1	(i) पट्टा समझौते का निष्पादन; (ii) भवन योजना मानचित्र प्रस्तुत करना या भवन योजना मानचित्र का स्वीकृत करवाना, जैसी भी स्थिति हों; (iii) वायु/जल अधिनियम के तहत स्थापना की सहमति (Consent to Establish) के लिए आवेदन करना, यदि लागू हो।	6 माह	निर्धारित समयावधि में मध्यवर्ती अनुक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में निगम को भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा। वैध अपरिहार्य कारणों से देरी की स्थिति में अधिकतम द्वितीय मध्यवर्ती अनुक्रम की निर्धारित तिथि तक छूट प्रदान की जा सकेगी, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर (Prevailing Rate) के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
2	नियमों के अनुसार भूखण्ड के प्लिंथ स्तर तक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा किया गया हो।	12 माह	निर्धारित समयावधि अथवा छूट प्रदान की गई समयावधि में मध्यवर्ती अनुक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में निगम को भूखण्ड का आवंटन निरस्तीकरण करने का अधिकार होगा। वैध अपरिहार्य कारणों से देरी की स्थिति में द्वितीय अनुक्रम समाप्त होने की निर्धारित तिथि से अधिकतम 6 माह की छूट प्रदान की जा सकेगी बशर्ते आवंटी द्वारा

			प्रथम मध्यवर्ती अनुक्रम की प्रगति पूर्ण कर ली हो, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
3	छत के स्तर तक (बिना छत डाले) न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूरा करना।	18 माह	निर्धारित समयावधि अथवा छूट प्रदान की गई समयावधि में मध्यवर्ती अनुक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में निगम को भूखण्ड का आवंटन निरस्तीकरण करने का अधिकार होगा। वैध अपरिहार्य कारणों से देरी की स्थिति में तृतीय अनुक्रम समाप्त होने की निर्धारित तिथि से अधिकतम 6 माह की छूट प्रदान की जा सकेगी बशर्ते आवंटी द्वारा द्वितीय मध्यवर्ती अनुक्रम की प्रगति पूर्ण कर ली हो, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।

स्पष्टीकरण:-

- (i) मध्यवर्ती अनुक्रम की तालिका में दी गई समयावधि कब्जा देने की तिथि को आधार मानकर अनुवर्ती क्रम में समझी जावेगी।
 - (ii) उपरोक्त मध्यवर्ती अनुक्रमों में विस्तार प्रदान किये जाने की दशा में उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए दी जाने वाली 2 वर्ष की समयावधि में स्वतः विस्तार नहीं माना जायेगा।
- iv. वाणिज्यिक उत्पादन/गतिविधि शुरू होने के बाद आवंटी/पट्टेदार को शीघ्रताशीघ्र एएसएसओ पोर्टल के माध्यम से संबंधित रीको इकाई प्रमुख को आवंटित भूखंड जिस प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया है, पर वाणिज्यिक उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ किये जाने की सूचना मय निम्न दस्तावेजों ऑनलाइन माध्यम से देनी होगी:

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> (i) प्रथम बिक्री का बिल; (ii) सरकार को जमा कराया गया जीएसटी/ ग्राहक शिपिंग बिल (यदि लागू हो) कोई अन्य कर की रसीद, यदि कोई हों; |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- (iii) प्लांट एवं मशीनरी खरीद बिलों की स्व:प्रमाणित प्रतियां;
- (iv) बैंक का मूल्यांकन यदि कोई हो (बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी Public Sector Bank, Private Sector Bank and Small Finance Bank की सूची (Schedule) में होना आवश्यक है);
- (v) उस माह का बिजली बिल जिसमें उत्पादन की तिथि का दावा किया गया है;
- (vi) फैक्ट्री और बॉयलर लाइसेंस (यदि लागू हो);
- (vii) वर्षा जल संरक्षण स्ट्रक्चर्स का निर्माण;
- (viii) सीए द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो यह सत्यापित करता हो कि भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के समय प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णित मदों में से भवन निर्माण एवं प्लान्ट एण्ड मशीनरी के मद में दर्शायी गयी राशि का 75 प्रतिशत राशि का उत्पादन के समय स्थायी रूप से निवेश उपरोक्त मदों में कर लिया गया है;
- (ix) फैक्ट्री के निर्माण/उत्पादन कार्य के बाहर एवं अन्दर के जीओ टेग फोटो।

- v. वैध अपरिहार्य कारणों से वाणिज्यिक उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ करने में देरी की स्थिति में अधिकतम 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए प्रदान की जा सकेगी। एक समय में अधिकतम 1 वर्ष का समयावधि विस्तार दिया जाएगा, जिसमें पुरानी देरी की अवधि का नियमितीकरण भी शामिल होगा। ऐसे प्रकरणों में विलंब के नियमितीकरण अथवा समयावधि विस्तार नीचे दिए गए धारण शुल्क के भुगतान की शर्तों पर गुणावगुण पर दिया जा सकेगा:-

क्र. सं.	समय विस्तार	प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए धारण शुल्क की दर	सक्षम प्राधिकारी
1.	एक वर्ष का समय यदि आवंटी ने निर्धारित समय अवधि के भीतर छत लेवल तक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा कर लिया है तो एक वर्ष की अतिरिक्त समयावधि।	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर (Prevailing Rate) के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 2% धारण प्रभार (त्रैमासिक आधार पर) देय होगा।	सलाहकार (इन्फ्रा)
2.	तालिका के क्रम संख्या 1 के अतिरिक्त एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, बशर्ते कि आवंटी ने नियमानुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूर्ण कर लिया हो तथा प्लांट एवं मशीनरी इत्यादि का क्रय आदेश दे दिया हो।	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 3% धारण प्रभार (त्रैमासिक आधार पर) देय होगा।	प्रबन्ध निदेशक

- vi. इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन में माने जाने के लिए भूखण्ड के क्षेत्रफल का न्यूनतम 30 प्रतिशत अथवा अनुज्ञेय Built-up Area Ratio (BAR) का न्यूनतम 30 प्रतिशत के समतुल्य निर्मित होना एवं भूखण्ड आवंटन के आवेदन के समय प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णित मदों

में से भवन निर्माण एवं प्लान्ट एवं मशीनरी के मद में दर्शायी गई राशि का 75 प्रतिशत राशि का उत्पादन के समय स्थायी रूप से निवेश उपरोक्त मदों में निर्धारित/विस्तारित समयावधि में निवेश आवश्यक होगा।

- vii. रीको भू-निपटान नियम 1979 के तहत नियमानुसार छत सहित 30 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र/अनुज्ञेय BAR के 30 प्रतिशत समतुल्य निर्मित क्षेत्र की गणना नियम संख्या 21.3.1 (बी), (सी) एवं (डी) के अनुरूप की जावेगी।
 - viii. आवंटित भूखण्ड में रिक्त/अनुपयोगी भूमि का हस्तान्तरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
 - ix. आवंटित भूखण्ड का उप-विभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा।
 - x. भूखण्ड पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के 3 वर्ष उपरान्त ही भूखण्ड के लीज होल्ड अधिकारों का विक्रय/हस्तान्तरण अनुज्ञेय किया जायेगा। हस्तान्तरण शुल्क औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर का 10 प्रतिशत देय होगा।
 - xi. आवंटी द्वारा आवंटित भूखंड को रीको को समर्पित करने की दशा में, आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि की प्रीमियम राशि की 5% राशि के समतुल्य एवं अन्य देय शुल्कों की कटौती की जावेगी एवं शेष राशि वापिस की जावेगी।
 - xii. आवंटित भूखण्ड का निरस्तीकरण करने की दशा में आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि की प्रीमियम की राशि से 10% राशि की कटौती की जावेगी।
 - xiii. उपरोक्त वर्णित योजना के तहत आवंटित किये जाने वाले प्रकरणों में जो अन्य नियम एवं शर्त स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, उन मामलों में रीको भू-निपटान नियम, 1979 (समय-समय पर संशोधित) लागू होंगे।
7. **योजना की अवधि:**— इस प्रत्यक्ष आवंटन योजना की वैधता दिनांक 30.06.2025 तक रहेगी। इस अवधि में “राईजिंग राजस्थान-ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024” के सन्दर्भ में राज्य सरकार के साथ उक्त पॉलिसी लागू होने की तिथि तक निष्पादित मैमोरण्डम ऑफ अंडरस्टेन्डिंग (MoU) वाले प्रकरणों को प्रत्यक्ष आवंटन प्रणाली के तहत सम्मिलित कर उपरोक्त प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
8. उपरोक्त योजना की मोडलिटीज निम्नानुसार है जो कि इस प्रत्यक्ष आवंटन योजना का अभिन्न भाग है:—

Modalities for direct allotment of industrial plots (including reserved plots) in identified industrial areas on reserve rate of plot in reference to Rising Rajasthan-Global Investment Summit-2024 are as under:

1. Modalities:

- (i) This scheme shall be applicable only to the entrepreneurs who have executed MoU upto the date of introducing the aforesaid policy in reference of “Rising Rajasthan - Global Investment Summit-2024” for considering the entitlement for allotment of industrial plot. This scheme shall be in-force upto 30.06.2025 for the applications for making allotment of industrial plots received through online portal. Further, Board of Directors (BoD) of RIICO has power to extend the above timeline if deemed fit. The entire process of inviting the applications for allotment of plot and subsequent action thereon shall be through online mode.
- (ii) The allotment of plot to the above-mentioned category of MoU executants will be made either through e-lottery procedure or decision to be taken at the level of Infrastructure

Development Committee (IDC) of the Board of Directors of RIICO on case-to-case basis, as the case may be, as provided in the policy documents.

- (iii) Under this policy, in case of sector specific/designated park/zone and category of entrepreneurs as described under Rule 3(A)(i) of RIICO Disposal of Land Rules, 1979, the allotment of plots will be made to such MoU executants who fulfill the criteria for getting allotment of plot in the aforesaid sector specific/designated park/zones and category of entrepreneurs as described under Rule 3(A)(i) of RIICO Disposal of Land Rules, 1979.
- (iv) For the purpose of this policy, identified Industrial areas means those industrial areas in which saturation level i.e. upto 80 % salable industrial land are not allotted. The industrial plots available under these industrial areas (except affected from any stay order/dispute/encroachment) would be eligible for allotment under the said scheme. The plots eligible for allotment shall be uploaded by the concern Unit Head on RIICO Online Portal. Apart from these, the new industrial areas which are yet to be opened for allotment, can be considered under this policy.
- (v) The applications for allotment of industrial plot will be accepted by RIICO on its online portal up to a fixed date & time, as may be decided by the Managing Director of the Corporation. To notify the public at large about starting the process of allotment under this policy, a public notice will be issued in leading newspapers. Subsequently, information regarding allotment and availability of plot will be uploaded on website of RIICO, as and when required.
- (vi) Allotment of plot will be made only for setting up of those categories of industries which are permitted in the respective industrial areas by the MOEF&CC and/or any other authority.
- (vii) Industrial plots reserve under Rule 3A(i) of RIICO Disposal of Land Rules, 1979 shall also be included in the scheme of allotment and the same will be allotted in accordance with the procedure as laid down in this policy.

2. Rate of allotment:

Reserve rate of plots to be allotted under this policy in industrial areas opened for allotment upto the date of introducing the aforesaid policy will be fixed by the 'Reserve Price Fixation Committee', from time to time constituted under Rule 3(i)(a) of RIICO Disposal of Land Rules, 1979 according to the provisions of Rule 3(iii)(aa) of RIICO Disposal of Land Rules, 1979.

Applicable upfront concession on the reserve rate in the rate of allotment shall be admissible for the plots reserved for SC/ST, Women, Persons with benchmark Disabilities, Ex-Serviceman, Dependents of deceased armed forces service personnel/ Paramilitary personnel entrepreneurs, in accordance with the table appended with Rule 3(A)(iv) of RIICO Disposal of Land Rules, 1979 (as amended from time to time).

3. Participation Fee:

Applicant shall deposit a fee of Rs.1,000 + GST alongwith application. This amount shall not be refunded in any event.

4. Earnest Money Deposit (EMD):

- (i) The applicant will have to deposit earnest money @ 5% of total land premium, along with application through online mode.
- (ii) The EMD of the un-successful applicants will be refunded without any interest/cost/claim after the closure of the e-lottery or after decision of IDC on applications, as the case may be.

5. **Eligibility Criteria:**

- (a) The applicant who has executed MoU with State Government upto the date of introducing the aforesaid policy in reference to “Rising Rajasthan-Global Investment Summit-2024” may apply for allotment of industrial plot;
- (b) Only those MoU executants will be eligible for applying under this scheme, which are demanding industrial plots under RIICO except those whose milestone M-2 has been completed, in the Raj Nivesh portal i.e. requirement of land for their respective projects;
- (c) The implementing departments based on the nature of project, investment size and phasing of investment would recommend to RIICO for land requirement, including area to be allotted, as per the existing guidelines/rules/norms of the implementing department. Accordingly, the MoU executant will be eligible to apply for allotment of plot maximum upto that area only; and
- (d) Under this scheme, each MoU executant shall be eligible for allotment of one industrial plot only under the aforesaid direct allotment scheme and more than one application for the same MoU shall not be entertained.

6. **Application to be submitted:**

- (1) The date of start of receiving online applications shall be—the date of publication of advertisement in the newspaper. The end date of submission of applications shall be 10 working days from the date of publication. The plots reserved for different category entrepreneurs will necessarily be indicated in the advertisement. The above advertisement will also be uploaded on website of RIICO.
- (2) The eligible applicant may apply on RIICO Website or <https://sso.rajasthan.gov.in> or RIICO GIS Portal where reserve price of all industrial plots available for direct allotment will be visible.
- (3) The industrial plot wise application will be submitted online to the concerned RIICO Unit Office through On-line portal along with self-attested documents as under:
 - (a) Copy of PAN Card and AADHAR Card of the applicant(s);
 - (b) Project Report including proposed investment in Building and Plant & Machinery;
 - (c) Copy of relevant certificate for availing concessions in rate of allotment, if applied for the plot reserved for respective category;
 - (d) Copy of partnership deed along with registration certificate; and
 - (e) Copy of Certificate of incorporation of Company/LLP and Memorandum & Articles of Associations in case of Company.

7. **Time line for application:**

S. No.	Activity	Time period (days)	Remark
1	Date of publicity of inviting online application in Newspaper and other print media as well as hosting of direct allotment plan on website	T	T= date of publicity
2	Registration start & application start date	T	The applicant can start the registration and application activity

3	End date of submission of application with required documents, deposition of participation fees & EMD by the applicant	T+10	10 working days from date of publication in Newspaper and other print media as well as hosting of direct allotment plan on website
4	Date of e-lottery	T+13	13 working days from date of publication in Newspaper and other print media as well as hosting of direct allotment plan on website

Note: Working days means as per official Callender of Government of Rajasthan excluding gazzetted holidays. However, the days on which half-day holiday is declared either by GoR or District Collector, the same will be treated as full working days for calculation of working days.

8. Deciding offer of allotment of plot upto 50,000 sqm:

- (i) In case of multiple applications being received on a plot, then plot allotment in favour of the eligible applicant will be decided by the process of e-lottery at pre-decided date & time in concerned Unit Office. The date & time across the Unit Offices shall be decided by Head Office. All the eligible applicants shall be given due opportunity to remain present either in person or through their representative at the time of conducting draw of lots through e-lottery. The representative of Collector, GM (DIC) and Branch Manager (RFC) will also be participated in this process preferably but process of e-lottery neither be postponed or re-scheduled merely non-presence of such authorities.
- (ii) Before conducting e-lottery, demo e-lottery shall be conducted thrice mandatorily on real data of applicants and results of demo e-lottery shall be kept on record duly signed by the Unit Head & members/applicants/representative who-so-ever are presented during the e-lottery process.
- (iii) Videography of entire e-lottery process shall be carried out by Unit Head concerned and shall be kept in safe custody for next 45 days for the record purpose.
- (iv) The Unit Head concerned shall issue online 'Letter of Offer' mentioning the requisite amount as well as shortcomings/discrepancy in submitted documents by the applicants during applying online application on RIICO Portal, if any, within 3 working days from date of conducting of e-lottery.
- (v) The successful applicant will deposit 1% of premium amount as security money and 25% of premium amount after adjusting amount already deposited as EMD within 30 days from the issue 'Letter of Offer' alongwith desired documents/clarification, if any.
- (vi) In case the above amount as mentioned in (v) above is not deposited and/or the desired documents/clarifications are not submitted within 30 days, then the 'Letter of Offer' will be treated as cancelled and amount deposited earlier (on account of EMD) shall be forfeited without giving any further notice.
- (vii) The Corporation will have full right to reject any application without assigning any reason.

9. Procedure for allotment of plot either more than 50,000 sqm or under specific industrial areas/park:

- (i) **Application to be submitted:** The application will be submitted for allotment of industrial plot through online portal. The application should be dully annexed with detailed project report and relevant documents for evaluating financial strength/eligibility duly self-attested by the authorized person of the applicant.

- (ii) **Participation Fee:** The applicant shall deposit a fee of Rs. 1,000+GST along with application. This amount shall not be refunded in any event.
- (iii) **Earnest Money Deposit (EMD):**
- (a) The applicant will have to deposit earnest money @ 5% of total land premium, along with application through online mode.
- (b) The EMD of the unsuccessful applicants will be refunded without any interest, cost or claim after the decision of IDC on the application.
- (iv) **Scrutiny of Application:**
- A. The application received in the Corporation will be scrutinized by an In-house Committee headed by the Executive Director (if posted) otherwise by Advisor (Infra) with a mandate for preliminary scrutiny of direct allotment applications with regard to its eligibility, land area requirement, water availability, power availability, environmental category/ suitability, proposed investment and time period etc. for implementation of project. The constituted members of the committee are as under:
- (i) Executive Director/Advisor (Infra) - Chairperson
- (ii) Advisor (Infra) (if Executive Director is Chairperson)
- (iii) Financial Advisor
- (iv) Head of Technical Cell
- (v) Head of Environment Cell
- (vi) Cell In-charge of Investment Cell
- (vii) Cell In-charge of P&D Cell
- (viii) Cell In-charge of Power Cell
- (ix) Cell In-charge of Town Planning Cell
- (x) Unit Head concerned
- (xi) Head of Business Promotion Cell
- (xii) Special invitee as may be deemed fit by Chairperson
- B. The Committee after discussions on the proposal with the applicant or its authorized representative shall submit its report with regard to land area requirement, proposed investment and employment to be provided by the applicant company to the Managing Director. The proposal will be placed through an Agenda through Advisor (Infra) before the IDC along with the report of the in-house committee.
- (v) **The authority to approve the allotment of industrial plot:** The decision on allotment of plot under this scheme will be taken by the IDC. The decision of IDC shall be final and binding on the applicant.
- (vi) In case of multiple applications being received on a particular plot, then In-house Committee will give their report for all such proposals and to be placed before the IDC through an agenda. Then decision for allotment of plot will be taken by the IDC on case-to-case basis.
- (vii) The Unit Head concerned shall issue online 'Letter of Offer' mentioning the requisite amount, within 3 working days from date of receiving the decision of the IDC in the Unit Office.

- (viii) The successful applicant will deposit 1% of premium amount as security money and 25% of premium amount after adjusting amount already deposited as earnest money within 30 days from the issue 'Letter of Offer'.
 - (ix) In case, the requisite amount as mentioned in (viii) above is not deposited and/or the desired documents/clarifications are not submitted within 30 days, then the 'Letter of Offer' will be treated as cancelled and amount deposited earlier (on account of earnest money) shall be forfeited without giving any further notice.
 - (x) The Corporation will have full right to reject any application without assigning any reason.
10. This direct allotment policy as above shall be effective from the date of hosting the minutes of BoD on the RIICO Website.

(Subhash Maharia)
Advisor (Infra)

Copy to:

1. units@riico.co.in
2. staff@riico.co.in